न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश मेहरा आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 37/2025 प्रार्थना पत्र धारा 503 बीएनएसएस

संदीप सिंह पुत्र राजसिंह मजहबी सिख निवासी ग्राम पालीवाला 17, एसटीबीबी थाना सूरतगढ तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर –प्रार्थी	बनाम	सरकार जरिये पुलिस थाना गुलाबपुरा –विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 503 बीएनएसएस

उपस्थित –

1. श्री रामराज जाट अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक 10.09.2025

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना–पत्र अतंर्गत धारा 503 बीएनएसएस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक वाहन बोलेरो पिक अप जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर RJ-13-GC-4338 है जो कि प्रार्थी के नाम से पंजीबद्ध हैं। उक्त वाहन को पुलिस थाना गुलाबपुरा द्वारा तहवील में लिया हुआ हैं। उक्त वाहन का प्रार्थी तन्हा मालिक हैं। उक्त वाहन की पुलिस को तफ्तीश में किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नही हैं। उक्त वाहन पुलिस थाने में खुले में पड़ा रहने से खराब एवं नष्ट हो जावेगा। उक्त वाहन को प्रार्थी जमानत नामें एवं सुपुर्दगी नामे पर प्राप्त करना चाहता हैं एवं न्यायालय द्वारा जब भी आदेश दिया जायेगा, प्रार्थी अपने खर्चे पर उक्त वाहन को न्यायालय में प्रस्तुत कर देगा। उक्त वाहन के रंग रोगन एवं उसके स्वरूप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नही करेगा। निवेदन हैं कि वाहन बोलेरो पिक अप जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर RJ-13-GC-4338 है को प्रार्थी को जमानत एवं सुपुर्दगीनामें पर प्रदान कराये जाने का आदेश पारित किया जावे।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 13.08.2025 को पंजीबद्व किया जाकर पुलिस थाना गुलाबपुरा से केस डायरी तलब की गयी। प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि पुलिस थाना गुलाबपुरा द्वारा जब्तशुदा वाहन बोलेरो पिक अप जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर RJ-13-GC-4338 है को प्रार्थी को जमानत एवं सुपुर्दगीनामें पर प्रदान कराये जाने का आदेश पारित किया जावे। प्रार्थी ने विधिक दृष्टान्त मान. उच्च न्यायालय बैंच जयपुर के प्रकरण संख्या 3339/2024 निर्णय दिनांक 29.05.2024 की प्रति पेश की गयी।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जिस अनुसार पाया गया कि राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन या निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम 2018 के बिन्दु संख्या 3. 1995 के राजस्थान अधिनियम संख्या 23 में नयी धारा 6–क का अन्तःस्थापन – "6–क प्रवहण के साधन का अधिहरण – (2) जहां उप धारा (1) में निर्दिष्ट प्रवहण का कोई भी

अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

जाता हैं, तो वहां ऐसे अभिग्रहण की रिपोर्ट, अभिगृहीत करने वाले व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी को अयुक्तियुक्त विलम्ब के बिना की जायेगी और ऐसे अपराध के लिये चाहे अभियोजन संस्थित किया जाये या नही, उस क्षेत्र पर, जहां प्रवहण का उक्त साधन अभिगृहीत किया गया था, अधिकारिता रखने वाला सक्षम प्राधिकारी, यदि उसका समाधान हो जाये कि प्रवहण का उक्त साधन इस अधिनियम के अधीन अपराध करने के लिए उपयोग में लिया गया था, प्रवहण के उक्त साधन के अधिहरण का आदेश कर सकेगा।'' उक्त प्रकरण में भी वाहन को अभिगृहीत करने वाले अधिकारी द्वारा वाहन अभिगृहीत करने के उपरांत इस न्यायालय को कोई सूचना नही दी गयी।

विधिक दृष्टान्त मान. उच्च न्यायालय बैंच जयपुर के प्रकरण संख्या 3339/2024 निर्णय दिनांक 29.05.2024 के बिन्दु संख्या 4 अनुसार ''विचाराधीन वाहन याचिकाकर्ता के कब्जे में नहीं था, क्योंकि उसे कोई अन्य चालक चला रहा था। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ता को इस बात की जानकारी थी कि वाहन में गोवंशीय पशु ले जाए जा रहे थे।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी द्वारा धारा 6—क के नियम 2 एवं विधिक दृष्टान्त अनुसार अपने प्रार्थना पत्र में कोई उल्लेख नही किया गया कि तत्समय वाहन मालिक को वाहन चालक द्वारा किये जा रहे कृत्य के बारे में पूर्ण जानकारी हो। साथ ही वाहन जब्त करने वाले अधिकारी द्वारा भी उक्त जब्ती के बारे में कोई सूचना सक्षम प्राधिकारी को नही दिया जाना पाया गया। इस प्रकार प्रार्थी का वाहन सुपुर्दगी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 503 बीएनएसएस अग्राह्य एवं सारहीन होने से अस्वीकार योग्य ठहरता हैं। अतएव—

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

आदेश

प्रार्थी का वाहन सुपुर्दगी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 503 बीएनएसएस अग्राह्य एवं सारहीन होने से अस्वीकार किया जाता हैं।

निर्णय आज दिनांक 10.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश मेहरा)
अति. जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा
भीलवाड़ा